(2019) 3 एस० सी० आर० 372

गौरव कुमार उर्फ मोनू

बनाम

हरियाणा राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 283–285 /2019) फरवरी 15, 2019

माननीय न्यायाधीश/कोरम:

अशोक भूषणऔर केएम जोसेफ, जे जे.

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2007 – 7.12 – किशोर, घटना की तारीख पर – निर्धारण – 2007 के नियम 12 की प्रयोज्यता– माना गया: घटना की तारीख 23/24.05.2000 थी जिस तारीख को नियम 2007 लागू नहीं किए गए थे – यहां तक कि उस तारीख पर भी, जब सत्र न्यायाधीश ने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट दिनांक 08.05.2003 प्रस्तुत की, नियम 2007 लागू नहीं था – 2007 के नियम 100 ने पिछले नियम, 2001 के नियमों को निरसित कर दिया – इस प्रकार, वर्तमान मामले में लागू होने वाले प्रासंगिक नियम 2001 के नियम थे – 2007 के नियमों का नियम 12 लागू नहीं है – उच्च न्यायालय के पास मुद्दे पर विचार करने का कोई अवसर नहीं था चूंकि अपीलकर्ता द्वारा इसे उठाया नहीं गया था – न्याय हित में, उच्च न्यायालय अपीलकर्ता की किशोरता के प्रश्न पर विचार करेगा – इस प्रकार, मामला विचारण के लिए वापस भेज दिया गया – किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम 2001 – नियम 22.

न्यायालय ने अपीलों का निस्तारण करते हुए माना:

1.1 अपीलकर्ता का कहना था कि उसके द्वारा 17.08.1982 की जन्मतिथि वाले स्कूल प्रमाणपत्र को चुनौती नहीं दी गई थी, इसलिए, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2007 के नियम 12 के आधार पर, उक्त प्रमाणपत्र को सत्र न्यायाधीश द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए था। 2007 के नियमों के नियम 12(3) के आधार पर अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए अनुरोधों पर विस्तार से विचार किया जा सकता था, लेकिन वर्तमान मामले में, 2007 के नियमों के नियम 12 की कोई प्रयोज्यता नहीं है। वर्तमान मामले में घटना की तारीख 23/24.05.2000 है जिस तारीख को नियम 2007 लागू नहीं किया गया था। यहां तक कि जिस तारीख 08.05.2003 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी, उस दिन भी नियम 2007 लागू नहीं था।

2007 के नियमों के नियम 100 ने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2001 के पिछले नियम को निरस्त कर दिया। इस प्रकार, प्रासंगिक नियम और जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वे 2001 के नियम हैं। [पैरा 14–17] [379–जी, एच; 380–ए]

1.2 उच्च न्यायालय के पास इस मुद्दे पर विचार करने का कोई अवसर नहीं था क्योंकि अपीलकर्ता ने इस मुद्दे को उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं रखा था , इस प्रकार, यह उचित होगा कि उच्च न्यायालय से निर्णय लेने से पहले अपीलकर्ता की किशोरता के प्रश्न पर नए सिरे से विचार करने का अनुरोध किया जाए। न्यायहित में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द करने और किशोरता के प्रश्न को पुनर्विचार के लिए उच्च न्यायालय में भेजा जाना उचित होगा । उच्च न्यायालय गुण दोष के आधार पर अपील पर निर्णय लेने से पहले रिकॉर्ड पर प्रासंगिक सामग्री के आधार पर किशोरता के प्रश्न पर विचार कर सकता है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त किया जाता है। [पैरा 18–19] [380–जी, एच; 381–ए–सी]

शाह नवाज़ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य
(2011) 13 एससीसी 751: [2011] 9 एससीआर 859;

अबुज़र हुसैन उर्फ गुलाम हुसैन बनाम पश्चिम बंगाल राज्य
(2012) 10 एससीसी 489 : [2012] 9 एससीआर 244 –

संदर्भित केस कानून संदर्भ

[2011] 9 एससीआर 859 पैरा 7

[2012] 9 एससीआर 244 पैरा 7

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार:

आपराधिक अपील संख्या 283–285/2019

(पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ द्वारा आपराधिक अपील संख्या डी–937–डीबी/2002 में 20593/2014 के 26949/2015 के 3118/2015 पर पारित निर्णय और आदेश दिनांकित 30.01.2015 के विरुद्ध)

अपीलकर्ता के लिए – नीरज जैन, वरिष्ठ. अधिवक्ता, प्रेम मल्होत्रा, अधिवक्ता।. विपक्षी के लिये– संजय कुमार त्यागी, एएजी, विश्व पाल सिंह, अजय पाल सिंह, संदीप सिंह, विशाल चौहान, डा। अमरदीप गौर, अधिवक्तागण

सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट (2019) 3 एस०सी०आर०

अशोक भूषण, जे

1. अनुमति दी गई।

2. अपीलकर्ता द्वारा ये अपीलें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.01.2015 को चुनौती देते हुए दायर की गई हैं, जिसमें 2002 की आपराधिक अपील संख्या 937 में दायर तीन आवेदनों को वापस लेने के आधार पर खारिज कर दिया गया था। इन अपीलों पर निर्णय लेने के लिए ध्यान दिये जाने वाले आवश्यक संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं–

3. दिनांक 24.05.2000 को अपीलकर्ता और अन्य आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323 , 506 , 148 , 149 , 170 , 171 और 302 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। 2005 के आपराधिक मामले संख्या 127 एस०सी० में अपीलकर्ता सहित आरोपियों पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, हिसार द्वारा मुकदमा चलाया गया था। घटना की तारीख 23/24 मई, 2000 की मध्यरात्रि है, जिसमें शेर सिंह नाम के एक व्यक्ति को पीटा गया था, अस्पताल ले जाया गया और बयान दर्ज होने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। सत्र न्यायाधीश ने अपने फैसले और आदेश दिनांकित 12.11.2002 द्वारा अपीलकर्ता और एक हंस राज को आदेश दिनांकित 14.11.2002 द्वारा धारा 302 भारतीय दंड संहिता सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी ठहराया और दोनों को 500/– रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। . अपीलकर्ता द्वारा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में दोषसिद्धि और सजा के आदेश के खिलाफ आपराधिक अपील संख्या 937 /2002 दायर की गई थी। अपील में उठाए गए आधारों में से एक यह था कि घटना की तारीख पर अपीलकर्ता की आयु 18 वर्ष से कम थी। उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांकित 24.03.2003 के तहत जमानत के लिए आवेदन पर नोटिस जारी करते हुए आदेश दिया कि इस बीच विद्वान सत्र न्यायाधीश, हिसार से एक रिपोर्ट मांगी जाए कि क्या आवेदक गौरव कुमार अपराध की तारीख पर और आरोप तय होने की तारीख पर किशोर था. विद्वान सत्र न्यायाधीश ने एक जांच की जिसमें दोनों पक्षों से मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य लिए गए। सत्र न्यायाधीश के

समक्ष अपीलकर्ता के पिता देवेन्द्र पुत्र हरि सिंह का बयान भी दर्ज किया गया, जिनसे जिरह भी की गई। अपीलकर्ता की ओर से सेंट कबीर स्कूल, हिसार के प्रिंसिपल का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें गौरव की जन्म तिथि 17.08.1982 दर्ज की गई थी। गौरव घाटरवाल की माध्यमिक विद्यालय परीक्षा की राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अंकसूची भी प्रस्तुत की गई जिसमें जन्मतिथि 17.08.1982 दर्ज थी। राज्य ने रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) (नगर परिषद, हांसी) द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र प्रदर्शन आर–1 प्रस्तुत किया, जहां देवेंद्र और इंदु के बेटे की जन्म तिथि 17.08.1981 दर्ज की गई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हिसार ने अपीलकर्ता के पिता के मौखिक साक्ष्य सहित जांच में प्राप्त सामग्री पर विचार करने के बाद माना कि अपीलकर्ता की जन्म तिथि 17.08.1981 है, इसलिए, 23/24 मई 2000 की मध्यरात्रि को, आवेदक–अपीलकर्ता गौरव कुमार की आयु 18 वर्ष से अधिक थी। रिपोर्ट उच्च न्यायालय को सौंपी गई। अपीलकर्ता द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण आवेदन संख्या 20593/2014 अन्तर्गत धारा 391 सपठित धारा 482 दं० प्र० सं० राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, भारत सरकार नई दिल्ली के माध्यमिक/मैट्रिक प्रमाण पत्र दिनांकित 23.05.2000, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय भारत सरकार नई दिल्ली के प्रवासन प्रमाण पत्र दिनांकित 01.08.1999 और राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा जारी अपीलकर्ता के पहचान प्रमाण पत्र को घटना दिनांक 24.05.2000 को आवेदक–अपीलकर्ता के किशोर होने की दलील पर अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में पत्रावली पर लिये जाने के संबंध में दाखिल किया गया। आपराधिक प्रकीर्ण आवेदन संख्या 26949/2014 में एक और आपराधिक आवेदन संख्या 3118/2015, अपीलकर्ता के अतिरिक्त शपथ पत्र को रिकॉर्ड पर रखने, राशन कार्ड की सच्ची प्रतिलिपि को रिकॉर्ड पर रखने और अनुबंध ए –10 की प्रमाणित प्रति दाखिल करने से छूट के लिए दाखिल किया गया। आपराधिक आवेदन क्रमांक 20593/2014, दिनांक 30.01.2015 को उच्च न्यायालय के समक्ष विचार हेतु आया। उच्च न्यायालय ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हिसार द्वारा दिनांक 08/09.05.2003 को भेजी गई रिपोर्ट पर गौर किया, जिसमें कहा गया था कि आवेदक गौरव कुमार की उम्र अपराध करने की तिथि पर 18 वर्ष से अधिक थी। उच्च न्यायालय ने रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु), हांसी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र पर विचार किया, जहां देवेन्द्र और इंदु के अपीलकर्ता बेटे की जन्म तिथि 17.08.1981 दर्ज की गई थी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की रिपोर्ट के मद्देनजर, आवेदक–

अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि वह आवेदनों पर दबाव नहीं डालते हैं। इस प्रकार, आवेदनों को वापस लिया गया मानकर खारिज कर दिया गया।

4. आवेदन संख्या 20593/2014 में पारित आदेश के मद्देनजर आवेदक–अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने अन्य प्रकीर्ण आपराधिक आवेदनों पर जोर नहीं दिया , जिन्हें आदेश दिनांकित 30.01.2015 द्वारा वापस ले लिया गया मानकर खारिज कर दिया गया।

5. अपीलकर्ता द्वारा ये अपीलें उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित 30.01.2015 के खिलाफ दायर की गई हैं, जिसके द्वारा आवेदक–अपीलकर्ता द्वारा दायर आवेदनों को वापस ले लिया गया मानकर खारिज कर दिया गया था।

6. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नीरज जैन ने कहा कि अपीलकर्ता को किसी भी स्तर पर किशोरता का मुद्दा उठाने का अधिकार है, इसलिए, भले ही उसके किशोर होने के मामले के समर्थन में अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के उसके आवेदन को वापस ले लिये जाने के आधार पर खारिज कर दिया गया हो, फिर भी वह वर्तमान अपील में इस मुद्दे को इस न्यायालय में उठा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि संत कबीर स्कूल, हिसार से दाखिल प्रमाणपत्र एक प्रासंगिक प्रमाणपत्र था जिस पर जिला न्यायाधीश को अपनी रिपोर्ट में भरोसा करना चाहिए था। उनके द्वारा कथन किया गया कि विद्वान सत्र न्यायाधीश ने जन्म प्रमाण पत्र पर भरोसा करके गलती की, जिसमें 17.08.1981 को देवेन्द्र के बेटे का जन्म दर्ज किया गया है।

7. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम , 2007 के नियम 12 पर उल्लेख किया है। उनका कहना है कि नियम 12 उम्र के निर्धारण में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित है। उनका कहना है कि नियम 12(3) के आधार पर, जिस स्कूल में पहली बार दाखिला लिया गया था, वहां से जन्म तिथि प्रमाण पत्र को निगम या नगर प्राधिकरण, या पंचायत द्वारा दिए गए जन्म प्रमाण पत्र की तुलना में प्राथमिकता दी जानी थी। उनका कहना है कि वैधानिक प्रावधानों के तहत अपीलकर्ता द्वारा आधार बनाये गए स्कूल प्रमाणपत्र को प्राथमिकता दी

जानी चाहिए , इसलिए, निगम द्वारा दिए गए जन्म प्रमाणपत्र पर भरोसा करने वाली जिला न्यायाधीश की रिपोर्ट गलत थी। अपनी दलील के समर्थन में उन्होंने, शाह नवाज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 2011(13) एस०सी०सी० 751, और अबुजर हुसैन उर्फ गुलाम हुसैन बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 2012(10) एस०सी०सी० 489, में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा जताया है।

8. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने अपीलकर्ता की दलील का खंडन किया है और कहा है कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने उचित जांच के बाद माना है कि घटना की तारीख पर अपीलकर्ता किशोर नहीं था। उनका कहना है कि रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र पर भरोसा करके जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। उनका कहना है कि अतिरिक्त साक्ष्य में जो प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की मांग की गई थी, उन्हें उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था। अपीलकर्ता ने स्वयं अतिरिक्त साक्ष्य दाखिल करने के लिए अपना आवेदन वापस ले लिया है और जिला एवं सत्र न्यायाधीश की रिपोर्ट को वस्तुतः स्वीकार कर लिया है और उसे इस अदालत में चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

9. हमने पक्षों के विद्वान वकीलों की दलीलों पर विचार किया है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।
10. भले ही आवेदक–अपीलकर्ता ने जिला और सत्र न्यायाधीश द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर सवाल उठाने के लिए कुछ अतिरिक्त सबूत रखने के लिए उच्च न्यायालय में दायर अपना आवेदन वापस ले लिया है, हम गुण–दोष के आधार पर अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा किये गये कथनों पर विचार कर रहे हैं। अपीलकर्ता के विद्वान वकील के कथनों का मुख्य जोर 2007 के नियमों के नियम 12 पर आधारित है । नियम 12(3) जिनको आधार बनाया गया है वह इस प्रकार है:

12. आयु निर्धारण में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया. –

(3) बालक या विधि का उल्लंघन कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर से संबंधित प्रत्येक मामले में, यथास्थिति न्यायालय या बोर्ड या समिति आयु निर्धारण जांच करने के लिये निम्नलिखित द्वारा साक्ष्य प्राप्त करेंगे–

(क) (i) मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हो; और उसके न होने पर;

(ii) जहां पहली बार गया, (प्ले स्कूल छोडकर) उस स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र, और उसके उपलब्ध न होने पर;

(iii) नगर निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र ;

(ख) और उपर्युक्त खंड (क) के (i), (ii) या (iii) की अनुपलब्धता मे ही सम्यक रूप से गठित चिकित्सा बोर्ड, जो किशोर अथवा बालक की आयु का निर्धारण करेगा, की राय ली जायेगी। यदि आयु का बिलकुल सही निर्धारण न किया जा सकता हो, तो न्यायालय अथवा बोर्ड या यथास्थिति, समिति कारणों का अभिलेख करते हुये यदि आवश्यक समझे जाए, तो बच्चे अथवा किशोर को एक वर्ष कम की आयु का लाभ दे सकती है।

और, ऐसे किसी मामले में यथास्थिति ऐसे साक्ष्य अथवा चिकित्सा बोर्ड के अनुमान को ध्यान में आदेश पारित करते समय, बोर्ड या न्यायालय या समिति किशोर या बालक की आयु के संबंध में निष्कर्ष तथा उपर्युक्त खंड (क) के उपखंड (i), (ii), (iii) मे विनिर्दिष्ट साक्ष्य अथवा इन तीनों की अनुपस्थिति मे खंड (ख) में दर्शाये गये चिकित्सा बोर्ड के आयु संबंधी अनुमान को ऐसे बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर की आयु के संबंध में निर्णायक साक्ष्य के रूप में दर्ज करेंगे।"

11. शाह नवाज़ मामले में इस न्यायालय ने 2007 के नियम 12 पर विचार किया था और माना था कि स्कूल प्रमाणपत्र को मेडिकल रिपोर्ट पर प्राथमिकता दी गई है। अनुच्छेद 26 में, निम्नलिखित निर्धारित किया गया है :

26. हम इस बात से भी संतुष्ट हैं कि नियम 12 जो अधिनियम के अनुसरण में लाया गया था, साक्ष्य की चार श्रेणियों का वर्णन करता है जो प्रदान की गई हैं जिनमें मेडिकल रिपोर्ट पर स्कूल प्रमाणपत्र को प्राथमिकता दी गई है।

12. अबूजर हुसैन (उपरोक्त) में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने नियम 12 पर विचार करते हुए निर्धारित किया कि:

39.3. प्रथम दृष्टया कौन सी सामग्री अदालत को संतुष्ट करेगी और/या प्रारंभिक दायित्व से मुक्ति के लिए पर्याप्त है, इसे सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता है और न ही यह निर्धारित किया जा सकता है कि साक्ष्य के विशिष्ट अंश को कितना महत्व दिया जाना चाहिए जो कि किशोरता का अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त हो सकता है । लेकिन नियम 12(3)(क)(i) से (iii) में निर्दिष्ट दस्तावेज निश्चित रूप से अपराधी की उम्र के बारे में अदालत की प्रथम दृष्टया संतुष्टि के लिए पर्याप्त होंगे, जिससे नियम 12 के तहत आगे की जांच की आवश्यकता होगी। संहिता की धारा 313 के अंतर्गत दर्ज किया गया बयान अत्यधिक अस्थायी है और सामान्यतः किशोरवयता के दावे को उचित ठहराने या अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। दोषसिद्धि के बाद प्राप्त स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र या मतदाता सूची आदि जैसे दस्तावेजों की विश्वसनीयता और/या स्वीकार्यता प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगी और कोई कठोर नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि उन्हें प्रथम दृष्टया स्वीकार या अस्वीकृत होना ही चाहिए। अकबर शेख और पवन के मामले में ये दस्तावेज़ प्रथम दृष्टया विश्वसनीय नहीं पाए गए, जबकि जितेंद्र सिंह के मामले में ये दस्तावेज़ स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, मार्कशीट और मेडिकल रिपोर्ट जांच और अपीलकर्ता की उम्र के सत्यापन के लिये को पर्याप्त माने गये। यदि ऐसे दस्तावेज़ प्रथम दृष्टया अदालत के विश्वास को प्रेरित करते हैं, तो अदालत धारा 7–A के प्रयोजनों के लिए ऐसे दस्तावेज़ों पर कार्रवाई कर सकती है और अपीलकर्ता की उम्र के निर्धारण के लिए जांच का आदेश दे सकती है।

13. अपनी सहमति वाली राय में न्यायमूर्ति टी०एस० ठाकुर ने नियम 12 को विस्तार से बताते हुए निम्नलिखित निर्धारित किया :

43.2. दूसरा कारक जो न्यायालय के मस्तिष्क में हमेशा मौजूद रहना चाहिए वह यह है कि किशोर होने का दावा कभी–कभी उन मामलों में भी किया जा सकता है जहां अपनी जन्मतिथि के संबंध में कोई सार्वजनिक दस्तावेज जैसे जन्म और मृत्यु का लेखा–जोखा जो नगरपालिका अधिकारियों, पंचायतों या अस्पतालों द्वारा रखा जाता है और न ही किसी स्कूल से कोई प्रमाण पत्र, क्योंकि अभियुक्त को कभी भी किसी स्कूल में दाखिला नहीं दिया गया था, जैसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यहां तक कि अगर किसी स्कूल में प्रवेश दिया जाता है तो ऐसे प्रवेश से संबंधित कोई रिकॉर्ड कभी–कभी अदालत में पेश करने के लिए उपलब्ध नहीं हो सकता है। फिर, ऐसे मामले भी हो सकते हैं जिनमें अभियुक्त निगम , नगर पालिका या पंचायत से जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जन्म और मृत्यु का पंजीकरण बनाया नहीं रखा जा सकता है और यदि बनाया रखा जाता है तो नियमित और सटीक और कभी– कभी सही नहीं भी हो सकता है।

44. नियमों का नियम 12(3) केवल तीन प्रमाणपत्रों को प्रासंगिक बनाता है। इन्हें नियम के उप–नियम 3(क)(i) से (iii) में गिना गया है जो इस प्रकार है:

(3)(क)(i) मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हो; और उसके न होने पर;

(ii) जहां पहली बार गया, (प्ले स्कूल छोडकर) उस स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र, और उसके उपलब्ध न होने पर;

(iii) नगर निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र ;

हालाँकि, उपरोक्त प्रमाणपत्रों या उनमें से किसी एक का प्रस्तुत न होना किशोरता के दावे के लिए घातक नहीं है, क्योंकि नियम 12 का उप–नियम (3)(ख) प्रमाणपत्रों के "अनुपस्थिति" में अभियुक्त की चिकित्सा जांच के आधार पर प्रश्न के निर्धारण का प्रावधान करता है।

14. अपीलकर्ता के विद्वान वकील का कहना था कि उसके द्वारा, जन्मतिथि 17.08.1982 के साथ दाखिल स्कूल प्रमाणपत्र को चुनौती नहीं दी गई थी, इसलिए, नियम 12 के आधार पर उक्त प्रमाणपत्र को विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए था ।

15. 2007 के नियमों के नियम 12(3) के आधार पर अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए कथनों पर हमारे द्वारा विस्तार से विचार किया जा सकता था, लेकिन हमने देखा कि वर्तमान मामले में, 2007 के नियमों के नियम 12 की कोई प्रयोज्यता नहीं है । वर्तमान मामले में घटना की तारीख 23/24.05.2000 है जिस तारीख को नियम 2007 लागू नहीं किया गया था। यहां तक कि जिस तारीख को विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जांच के बाद 08.05.2003 को अपनी रिपोर्ट सौंपी, उस दिन भी नियम 2007 लागू नहीं था। 2007 के नियम 100 ने पिछले किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2001 के पिछले नियम को निरस्त कर दिया। 2007 के नियम 100 इस प्रकार हैं:

100. निरसन और व्यावृत्ति. – भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।, खंड 1 में फा०सं० 1–3/2001–एसडी, दिनांक 22 जून, 2001 द्वारा अधिसूचित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2001 को इसके द्वारा निरस्त किया जाता है ।

16. इस प्रकार, वर्तमान मामले में प्रासंगिक नियम 2001 के नियम थे । 2001 के नियम 22 में " आयु के निर्धारण में जांच आयोजित करने में बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया" से संबंधित है। नियम 22 उप नियम (5) जो वर्तमान मामले के लिए प्रासंगिक है, इस प्रकार है:

“22(5). किसी किशोर या बच्चे से संबंधित प्रत्येक मामले में, बोर्ड या तो यह प्राप्त करेगा, –

(i) किसी निगम या नगरपालिका प्राधिकरण द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र ;

(ii) जिस स्कूल में पहली बार दाखिला लिया था, वहां से जन्मतिथि प्रमाण पत्र; या

(iii) मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाणपत्र, यदि उपलब्ध हो; और

(iv) उपरोक्त (i) से (iii) की अनुपस्थिति में, उपयुक्त मामलों में, विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा उसकी उम्र के संबंध में, एक वर्ष के अंतर के अधीन, दर्ज किए गये कारणों के आधार पर चिकित्सा राय, और, ऐसे मामले में आदेश पारित करते समय, उपलब्ध साक्ष्य या चिकित्सीय राय पर विचार करने के बाद, यथास्थिति, उसकी उम्र के संबंध में निष्कर्ष दर्ज करेगा।"

17. हमारा विचार है कि जिन प्रासंगिक नियमों पर ध्यान देना आवश्यक था वे किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम , 2001 हैं।

18. उच्च न्यायालय के पास इस मुद्दे पर विचार करने का कोई अवसर नहीं था क्योंकि अपीलकर्ता ने इस मुद्दे को उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं रखा था, हमारा विचार है कि यह उचित होगा कि उच्च न्यायालय से, अपील पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ने से पहले, नए सिरे से अपीलकर्ता की किशोरता के प्रश्न पर विचार करने का अनुरोध किया जाए।

19. न्यायहित में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.01.2015 को अपास्त करके किशोरता के प्रश्न पर विचार के लिए उच्च न्यायालय में वापस भेजा जाए । उच्च न्यायालय गुण दोष के आधार पर अपील पर निर्णय लेने से पहले रिकॉर्ड पर उपलब्ध प्रासंगिक सामग्री के आधार पर किशोरता के प्रश्न पर विचार कर सकता है। अपीलकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों को भी रिकॉर्ड पर लिया जाये और उच्च न्यायालय रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों के साथ–साथ सत्र न्यायाधीश की रिपोर्ट, जो उच्च न्यायालय द्वारा मांगी गई

थी, के आधार पर मुद्दे पर पुनर्विचार कर सकता है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.01.2015 को अपास्त किया जाता है । तदनुसार अपीलों का निस्तारण किया जाता है।

निधि जैन अपील निस्तारित की गई।

Translated by :

Shashwata Pandey

ADJ, Saharanpur